भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 319
2 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना की स्थिति

319. **श्री अनुराग सिंह ठाकुरः**
श्री जगदम्बिका पालः

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत कार्यान्वित उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं की आरंभ से अब तक प्राप्त, स्वीकृत और अस्वीकृत आवेदनों की कुल संख्या सहित वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) विशिष्ट इस्पात, ऑटोमोटिव इस्पात, विद्युत इस्पात और अन्य श्रेणियों के बीच पीएलआई का कितना-कितना लाभ प्राप्त हुआ है तथा आज की तिथि तक आबंटित निधि के वितरण का क्षेत्र-वार प्रतिशत कितना है;
(ग) इन योजनाओं के माध्यम से विशेष रूप से आकांक्षी जिलों में राज्यवार पीएलआई लाभार्थियों की व्याप्ति कितनी है और कितना रोजगार सृजन किया गया है;
(घ) पीएलआई लाभार्थियों के लिए कौन-कौन से विशिष्ट कार्य निष्पादन मानदंड और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;
(ड.) पीएलआई प्रोत्साहनों के माध्यम से महत्वपूर्ण इस्पात ग्रेडों में घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(च) चालू पीएलआई परियोजनाओं के पूरा होने की समय-सीमा क्या है और 2025-26 तक इस्पात क्षेत्र में कितनी अनुमानित उत्पादन क्षमता वृद्धि होने की संभावना है; और
(छ) क्या सरकार इस्पात क्षेत्र के लिए मौजूदा पीएलआई योजनाओं को वर्तमान ढांचे से आगे बढ़ाने या संशोधित करने की योजना बना रही है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (छ): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई, 2021 में ₹6,322 करोड़ के बजट के साथ विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को अनुमोदन दिया था, जिसका उद्देश्य वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से विशेष इस्पात उत्पादन को बढ़ावा देना है। यह योजना विनिर्दिष्ट निवेश और उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने वाली कंपनियों को वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। इस योजना में पांच उत्पाद श्रेणियां जिनमें कोटेड स्टील, हाई स्ट्रैन्थ स्टील, स्पेशियलिटी रेल्स, एलॉय स्टील एवं स्टील वायर और इलेक्ट्रिकल स्टील शामिल हैं। अब तक दो चरण संपन्न हो चुके हैं जिनमें भाग लेने वाले लाभार्थी आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड,कर्नाटक,

जारी..../2

महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों से हैं। पहले और दूसरे चरण में क्रमशः 19 कंपनियों ने ₹27,106 का निवेश करने तथा 25 कंपनियों ने ₹17,000 का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। अक्टूबर, 2025 तक, भाग लेने वाली लाभार्थी कंपनियों ने ₹23,022 करोड़ का निवेश किया है और 2.33 मिलियन टन विशेष इस्पात का उत्पादन किया है। इस्पात एक नियत्रंणमुक्त क्षेत्र है और सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। निवेश, क्षमता वृद्धि, रोजगार, उत्पाद पोर्टफोलियो आदि जैसे निर्णय कंपनियों के प्रौद्यो-वाणिज्यिक विश्लेषण पर आधारित होते हैं।

******